# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 10/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/10)**

बलवीर पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी गुरेश तहसील सिवानी

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
2. करणी सिह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी गुरेरा तहसील सिवानी।
3. धनपत पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी गुरेरा तहसील सिवानी।

रेस्पोडेंन्ट्स

**उपस्थितः** 1. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री इफ्तेकार मोहम्मद –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 04.10.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 03.11.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत के मुताबिक नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.04.2016 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र भूमि पैतृक होने के आधार पर खारिज कर दिया। निर्णय दिनाक 18.04.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रस्तुत कर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर मुताबिक वसीयत नामान्तकरण दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनाक 03.11.2016 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार भादरा का निर्णय यथावत रख दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर उक्त दोनो आदेशो को निरस्त करने एवं तहसीलदार भादरा को वसीयत के आधार पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के नाम से इन्तकाल दर्ज करने का निर्देश देने का निवेदन किया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के दादा के भाई पन्ना पुत्र गंगाराम के नाम से ग्राम शेरडा के खसरा नं. 703 में कृषि भूमि है, पन्ना अविवाहित था उसके कोई औलाद नही थी, उसने अपनी सम्पति की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के पक्ष में दिनांक 08.07.1982 को सयुक्त सब रजिस्ट्रार सिवानी (भिवानी) के यहा पंजीबद्व करवाई। पन्ना की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट ने वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल अपने व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के नाम से दर्ज करने हेतु तहसीलदार भादरा के समक्ष दिनांक 27.10.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार भादरा ने विधि अनुसार आपत्ति हेतु स्थानीय अखबार मे सूचना प्रकाशित करवाई, हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई परन्तु तहसीलदार भादरा ने उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनाक 18.04.2016 में यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि भूमि पैतृक है। अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के निर्णय के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश की जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा तहसीलदार भादरा का निर्णय सही मानते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्व यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार भादरा के समक्ष किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति नही की, पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नही है कि उक्त भूमि पैतृक है। जब रिपोर्ट में यह विवरण नही है तो तहसीलदार भादरा ने उक्त भूमि को पैतृक केसे मान लिया। वसीयत के बारे में कथन करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था। वसीयत सही है या गलत इस बारे में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनाक 03.11.2016 तथा तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाते हुए तहसीलदार भादरा को निर्देश दिये जावे कि

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत के आधार पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के नाम से वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया हमारा हक नही मरे तो वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने पर हमें कोई ऐतराज नही है।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 18.04.2016, के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार भादरा ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर भूमि स्वःअर्जित सम्पत्ति नहीं होने के आधार पर पारित किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय में उक्त भूमि स्वः अर्जित नहीं होने के अतिरिक्त वसीयत में सम्पत्ति का उल्लेख व विवरण अंकित नहीं होने तथा वसीयत अपीलान्ट के अतिरिक्त अन्य पक्षकारो के हक में भी होने तथा उनके द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण खारिज की गई है। पत्रावली में सम्मिलित वसीयत का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वसीयत दिनांक 08.07.1982 में कृषि भूमि का कोई विवरण अंकित नहीं है तथा अपीलान्ट इसी वसीयत में वर्णित हरियाणा की भूमि का नामान्तरकरण सं. 1448 उनके हक में होने का जो कथन किया है। इसके संदर्भ में हरियाणा के नामान्तरकरण सं. 1448 का अवलोकन से स्पष्ट होता है। उक्त नामान्तरकरण सिविल जज के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्वःअर्जित बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को वसीयत भूमि के विवरण के अभाव में स्वतः स्पष्ट नहीं है के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय से प्रोवेट अथवा राजस्व वाद के माध्यम से अधिकारो की घोषणा की कार्यवाही करनी चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2016 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर